"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 फरवरी 2011--माघ 25, शक 1932

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-2/2010/वाक. (पं.)/पांच (15).—विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-129/2007/वा.कर (पं.)/पांच (43), दिनांक 16-10-2007, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2009/वा.कर (पं.)/पांच (11), दिनांक 11-02-2009, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2009/वा.कर (पं.)/पांच (32), दिनांक 29-05-2009 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2010/वा.कर (पं.)/पांच (23), दिनांक 11-03-2010 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची 1-क के अनुच्छेद-23 के अन्तर्गत हस्तांतरण पत्र की विषयवस्तु से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर में दो प्रतिशत की कमी करते हुये, 7.5% से 5.5% करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-2/2010/वाक. (पं.)/पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2010/वाक. (पं.)/पांच (15), दिनांक 14-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 14th February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-2/2010/CT (R)/V(15).—In supersession of this Department's Notification No. F 10-129/2007/CT (R)/V(43), Dated 16-10-2007, Notification No. F 10-05/2009/CT (R)/V(11), Dated 11-02-2009, Notification No. F 10-05/2009/CT (R)/V(32), Dated 29-05-2009 and Notification No. F 10-2/2010/CT (R)/V(23), Dated 11-03-2010 and in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby, reduces the stamp duty by two percent, chargeable under article 23 of Schedule 1-A on instruments of conveyance, from 7.5% to 5.5%, of the market value of the property which is the subject matter of conveyance.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.